इन्टरमीडिएट परीक्षा, १९८०

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

राजकीय दीक्षा विद्यालय पकवाइनार, बलिया

संख्या ——— दिनांक २८-६-८०

संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी [illegible] ओंकार पाण्डेय अनुक्रमांक ६३३५४०

द्वारा परिषद् की इन्टरमीडिएट परीक्षा, १९८० में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण।

वर्ग क

परीक्षार्थी द्वारा लिए गए विषय	विषय के निर्धारित पूर्णांक	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	पूर्णयोग	क्रियात्मक	वाणिज्य: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी	वाणिज्य: टंकण सिद्धान्त	वाणिज्य: टंकण क्रियात्मक	कार्यालय द्वितीय: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी प्रथम प्रश्न-पत्र	कार्यालय द्वितीय: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी द्वितीय प्रश्न-पत्र	पूर्णयोग	टंकण हिन्दी/अंग्रेजी प्रथम प्रश्न-पत्र	टंकण हिन्दी/अंग्रेजी द्वितीय प्रश्न-पत्र	टंकण हिन्दी/अंग्रेजी तृतीय प्रश्न-पत्र	टंकण हिन्दी/अंग्रेजी चतुर्थ प्रश्न-पत्र	पूर्णयोग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१ हिन्दी सा० हिन्दी	१००	१५	१६	१८	५१												
२ अंग्रेजी	१००	१०	१३	१८	४१												
३ [illegible]	१००	२१	२४	—	४५												
४ अर्थ०	१००	२१	२२	—	४३												
५ संस्कृत	१००	२०	२५	१६	६२												
६																	

सम्पूर्ण प्राप्तांक शब्दों तथा अंकों में— दो सौ बयालिस (२४२)

परीक्षाफल (प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी या अनुत्तीर्ण)	कृपांक	विशेष योग्यता	यदि सम्मान सहित उत्तीर्ण है तो यहाँ उल्लेख कीजिए	क्या पूरक परीक्षा का अधिकारी है ? यदि हाँ तो विषय	क्या नि... सन्निरी... अधिका...
उत्तीर्ण- दो	—	—	—	—	—

नोट—प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल का निर्णय ठीक हुआ है अथवा नहीं, इसकी जाँच परीक्षार्थी नीचे दिये नियमों के अ... स्वयं भी कर लें और यदि कोई त्रुटि हो तो प्रधानाचार्य/केन्द्र-व्यवस्थापक से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करके उसका निराक... लें अन्यथा भूल सुधार में विलम्ब हो सकता है, जो परीक्षार्थी के लिये अहितकर होगा। परिषद् कार्यालय में जाँच के फल... कोई त्रुटि पाई जायगी तो उसकी सूचना तुरन्त ही प्रधानाचार्य/केन्द्र-व्यवस्थापक को दी जायगी और वे सम्बन्धित परी... इसकी सूचना देंगे।

परीक्षाफल सम्बन्धी नियम

१—प्रत्येक विषय के न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत है। जिन विषयों में क्रियात्मक परीक्षा होती है, उनमें लिखित तथा... परीक्षा के लिये अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित हैं।

२—उत्तीर्ण होने के लिये निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक नहीं होने चाहिए। निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम होने... पूल के भीतर किये जाते हैं।

३—किसी विषय में ७५ प्रतिशत अंक पाने पर विशेष योग्यता मिलती है, सम्पूर्ण योग का ७५ प्रतिशत प्राप्तांक होने... सहित उत्तीर्ण घोषित होता है।

४—प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिये प्राप्तांक योग सम्पूर्ण निर्धारित अंकों का क्रमशः ६०, ... प्रतिशत होना चाहिये।

५—यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा वह केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह उस ... परीक्षा का अधिकारी होगा।

६—पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः सन्निरीक्षा के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्ष... एक विषय में २८ प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, पूरक परीक्षा के अधि... होने के साथ ही साथ स्वतः सन्निरीक्षा के अधिकारी होंगे। इनकी उत्तर-पुस्तकों की सन्निरीक्षा निःशुल्क होगी।

बनाने वाले के हस्ताक्षर ——— [illegible]